संख्या– 733/26–ब0प्र0–2011–10(36)02

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 12 अक्टूबर, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में अनुदान संख्या–81 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्राथियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के अंतर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–115/ज0जा0वि0/2011–12,दिनांक 7–7–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में अनुदान संख्या–81 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्राथियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के अन्तर्गत अवशेष रू0 25.00 लाख (रूपये पचीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/ दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/ डाकघर/ डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/ उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

2– उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय व्ययक में अनुदान सं0–81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– आयोजनागत –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–18–अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों के बालिकाओं के बिवाह एवं गंभीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान –20– सहायता अनुदान– सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–1762/दस–2011, दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या– 733 (1)/26–ब0प्र0–2011 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
6– राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
7– निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गौस्वामी)
अनु सचिव।